न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा

हुक्म या कार्यवाही नव इनिशियल जज

वादी 1 बिल्वा पुत्र रामवीर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

27/10

आज पक्षकार पत्रावली समक्ष पेश अपील आदिशाह पाठ आपके झा कैम्प पटिया नं० 2 में पेश हुई। पत्रावली अपील समझाया, की गयी चेना है पक्ष रामीनामे के लिए सुनवाई है। अतः लोक पक्ष की पत्रावली 9-0 से प्रस्तुत प्रस्ताव तैयार कराने बाद दिन पर कोई आपत्ति पेश नहीं हुई। इस स्थिति इस अब बाधी मुताबिक करीब प्रस्ताव डिक्री किया जाता उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अब वादिया मुताबिक करीब प्रस्ताव इस प्रकार से आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादिया बिल्वा पत्नी हरप्रसाद बौध बघेल का मौजपुर के खसरा नं० 3165/1, पाल्यिन दिमा रकबा 8 बिस्वा 10 बिस्वासी, 3166/1 पाल्यिन दिमा रकबा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा व 10 बिस्वासी स्थित कस्बा पटिया नं० 2 रहेगी जो PNB शाखा राजाखेड़ा में रहन रखी रहेगी। वहां पर पिता रामवीर रामप्रकाश पि० मेवाराम बौध बघेल का मौजपुर के खसरा नं० 3165/2 पूर्व दिमा रकबा 8 बिस्वा 10 बिस्वासी, 3166/2 पूर्व दिमा रकबा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वासी स्थित कस्बा पटिया नं० 2 रहेगी जो PNB शाखा राजाखेड़ा में रहन रखी रहेगी। उपरोक्तानुसार वादियान को प्रतिवादियान के पक्ष पक्ष लेने का फैसला किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पार्थ डिक्री विधानुसार तामील पक्ष देने पर पायी जा पत्रावली कोहाल मुमाकि इसके बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)